

रिपोर्ट पटवारी हल्का/आई0एल0आर0 जटलाकला
आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार

प्रमाण, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, देहावेज आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, पे-चायह द्वारा लिखित व प्रार्थी द्वारा शाखा-पत्र के आधार पर प्रार्थी को नाम - मनीराम पुत्र हरिराम प्रमाणित किया गया है। नाम शुद्ध किया जाना उचित होगा।


कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौडजी

क्रमांक : राजस्व/2020/

दिनांक -

सहायक
प्राप्त पंचायत पैसपुरा
पं.स. उदयपुरवाटी (सुन्धर)

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अनिश्चया की जाती है /नहीं की जाती है।


तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौडजी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला सुन्धर (राज.)


-: आदेश :-

दिनांक :- 29/10/2022

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
01	जटलाकला	2075-78	71	मुनाराम पुत्र हरिराम	मनीराम पुत्र हरिराम

नोट :-शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।


उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

क्रमांक :- राजस्व/2020/ 540-541

प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 29/10/2022

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को वास्ते पालनार्थ।

2. प्रार्थी/प्रार्थीया

को सूचनार्थ।


उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी